न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 118 सन 2022

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र इन्द्राज स्वामी जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. इन्द्राज स्वामी पुत्र पोकरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
3. गोरीशंकर पुत्र इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
4. वेदप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
5. कुलदीप पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
6. देवीलाल पुत्र दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
7. साहबराम पुत्र दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
8. पवन कुमार पुत्र दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
9. सुरेश पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
10. रोहिताश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
11. संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
12. लिछमा पत्नी मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
13. गुडडी पुत्री मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
14. कान्ता पुत्री मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
15. गुडी पुत्री इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
16. शारदा पुत्री इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
17. चन्द्रकला पुत्री इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
18. शान्ती पत्नी दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
19. सरीता पुत्री दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
20. मैना पुत्री दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
21. कमला पत्नी ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
22. कमला पुत्री पोकरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 14/14 की कुल 4.6040हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.9570हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , व खाता संख्या 102/103 की कुल 0.5310हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 94/92 की कुल 12.8110हैक में से 11/5570 हिस्सा वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मृतक पोकरदास पुत्र केशुदास के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पूर्वज पोकरदास पुत्र केशुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जो पोकरदास के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पूर्व में वादी के दादा पोकरदास पुत्र केशुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पोकरदास पुत्र केशुराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पोकरदास पुत्र केशुराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें राजश खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 22 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 12 ता 22 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की पुत्री/बहन है प्रतिवादी संख्या 12 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है व मृतक पोकरदास के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता पोकरदास पुत्र केशुराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है तथा पोकरदास पुत्र केशुराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है इसलिये पोकरदास एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 22 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 23 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 14/14 की कुल 4.6040हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.9570हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , व खाता संख्या 102/103 की कुल 0.5310हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 94/92 की कुल 12.8110हैक में से 11/5570 हिस्सा वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मृतक पोकरदास पुत्र केशुदास के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पूर्वज पोकरदास पुत्र केशुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जो पोकरदास के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
लोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पूर्व में वादी के दादा पोकरदास पुत्र केशुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पोकरदास पुत्र केशुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पोकरदास पुत्र केशुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 22 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 12 ता 22 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की पुत्री/बहन है प्रतिवादी संख्या 12 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 14/14 की कुल 4.6040हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.9570हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , व खाता संख्या 102/103 की कुल 0.5310हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 94/92 की कुल 12.8110हैक में से 11/5570 हिस्सा वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मृतक पोकरदास पुत्र केशुदास के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि पोकरदास केशुराम के नाम से दर्ज थी व है पोकरदास पुत्र केशुराम का देहानत हो चुका जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पूर्व में वादी के दादा पोकरदास पुत्र केशुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा पोकरदास पुत्र केशुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 12 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 12 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 22 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 14/14 की कुल 4.6040हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 4.048हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी व रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.9570हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 4.048हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 102/103 की कुल 0.5310हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 94/92 की कुल 12.8110हैक में से 11/5570 हिस्सा भूमि पोकरदास के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातों में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम तथा 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिब व शेष 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र इन्द्राज स्वामी जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 इन्द्राज स्वामी पुत्र पोकरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
3. गोरीशंकर पुत्र इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
4. वेदप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
5. कुलदीप पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
6. देवीलाल पुत्र दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
7. साहबराम पुत्र दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
8. पवन कुमार पुत्र दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
9. सुरेश पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
10. रोहिताश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
11. संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
12. लिछमा पत्नी मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
13. गुडडी पुत्री मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
14. कान्ता पुत्री मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
15. गुडी पुत्री इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
16. शारदा पुत्री इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
17. चन्द्रकला पुत्री इन्द्राज जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
18. शान्ती पत्नी दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
19. सरीता पुत्री दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
20. मैना पुत्री दुलाराम उर्फ दुलदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
21. कमला पत्नी ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
22. कमला पुत्री पोकरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 923 सन 2020 निर्णय दिनांक– 15/3/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य संकुचित एवं प्रतिवादीगण की स्वीकृति के आधार पर स्वीकार होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 14/14 की कुल 4.6040हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 4.048हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी व रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.9570हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में से 4.048हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 102/103 की कुल 0.5310हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 94/92 की कुल 12.8110हैक में से 11/5570 हिस्सा भूमि पोकरदास के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातों में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम तथा 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिब व शेष 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner